ऑनलाइन अपलोड/विशेषवाहक द्वारा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक-555 /1सी0 (वन) दिनांक 23 / 04 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः- जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(FP/UK/ROAD/146204/2020)**

सन्दर्भः- **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड, देहरादून का पत्र सं0- 08बी/यू0सी0पी0/06/17/2022/एफ0सी0/2085 दिनांक 11.12.2023 एवं आपका पत्रांक संख्या 3290/12-1 दिनांक 3.1.2024**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 23 शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	उत्तर
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दु संख्या 02 का अनुपालन किया जाएगा।
3 (क)	प्रतिपूरक वनीकरण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1722 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.72 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। जहॉं तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।	1722 पौधों के रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवष्यक धनराषि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये) रू 771821 .00 की धनराशि ऑनलाइन चॉलन के माध्यम से दिनांक 22.03.2024 द्वारा जमा की जा चुकी है एवं पौधों का रापेण कार्य वन विभाग द्वारा किया जायेगा **संलग्न 1- चालन की मूल प्रति।**
(ख)	राज्य सरकार पौधारोपण योजना क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	1722 पौधों का रोपण ग्राम पाडुली, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग, जिला-चमोली की 1.72 है0 भूमि में किय जायेगा। जिसके मानचित्र एवं अन्य अभिलेख संलग्न है। **संलग्न 2- मानचित्र एवं अन्य अभिलेख।**

ग	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण योजना, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया, ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0 एल0 एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	उक्त शर्त मान्य है। वृक्षारोपण योजना आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या 3290/12–1 दिनांक 3.1. 2024 के अनुसार 1722 पौधो हेतु रू0 771821.00 की आपके स्तर से तैयार की जायेगी एवं अन्य आवश्यक विवरण ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर भी आपके द्वारा अपलोड किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपर्युक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	शर्त मान्य है। यदि आवश्यक हो तो वन विभाग द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।
5 (क)	शुद्ध वर्तमान मूल्य इस संबंध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008,24.04. 2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.861 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रस्ताव के तहत 0.861 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रू0 865486.00 ऑनलाइन चॉलन के माध्यम से दिनांक 22.3.2024 द्वारा जमा की जा चुकी है। **चालन की मूल प्रति संलग्न 1 में है।**
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	एन0पी0वी0 की दरों में बढोतरी से सम्बन्धित बचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। **संलग्न 3– एन0पी0वी0 की बचन बद्धता का प्रमाण पत्र।**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 51 वृक्षों एवं 35 सेपलिंग्स से अधिक नहीं होगीएवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेड़ो की कटाई न्यूनतम की जायेगी एवं प्रस्ताव के अनुसार 51 वृक्ष का पातन राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा एवं पेड़ां की कटाई की लागत वन विभाग को जमा की जाएगी।

7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/)के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें।	परियोजना के तहत प्राप्त धन ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में जमा किया गया है।
8	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा। शर्त मान्य है।
9	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	उक्त परियोजना के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं है।
10	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। शर्त मान्य है।
11	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। शर्त मान्य है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेष वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। शर्त मान्य है।
13	संबंधित वन मंडल अधिकारी/ प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित वन मंडल अधिकारी/ प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। शर्त मान्य है।
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। शर्त मान्य है।
15	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा। शर्त मान्य है।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। शर्त मान्य है।

17	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 एफ0सी0 दिनांक 29. 1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
18	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगीं।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरखण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित जो भी शर्तें लागू होंगी, वह प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मान्य होंगी।
19	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागतपर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जाएगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। प्रयाक्त अभिकरण द्वारा राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा एवं उक्त क्षेत्र में वृक्षो की कटाई भी नहीं की जायेगी। शर्त मान्य है।
20	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त की जायेगी। शर्त मान्य है।
21	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जा चुकी है।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण व विकास हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगें।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण व विकास हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें का अनुपालन किया जायेगा। शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	मलवे का निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर उचित प्रकार से किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण वन भूमि पर किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण को अपने स्तर से की जाने वाली समस्त कार्यवाही उपरान्त विधिवत स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करे।

संलग्न– **अनुपालन आख्या 3 प्रतियों में।**

भवदीय

(इं0 सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

तद्दिनांकित

पत्रांक /1 सी0 वन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– [redacted] प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।
3– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 लो0नि0वि0 पौड़ी।
4– जिलाधिकारी चमोली ।
5– अधीक्षण अभियन्ता 07वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
6– सहायक अभियन्ता प्रथम, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

संलग्न 1 व 5

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-03-2024

Agency Name.	TEMPORARY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT GAUCHAR
Application No.	61146204092
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/17/2022/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	office of the executive Engineer Temporary Division PWD GaucharChamoli
Amount(in Rs)	1637307/-

Amount in Words :Sixteen Lakh Thirty-Seven Thousand Three Hundred and Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508961146204092 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through cha
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@
ubin0903710@unionbankofindia.bank

भारतीय स्टेट बैंक, गौचर-06738
22 MAR 2024
Sohan Singh Rawat

भारतीय स्टेट बैंक, गौचर
22 MAR 2024
Anjali Vash

SBIN 224082152286

संलग्न 2

डिजिटल मैपः–नपद चमोली में राज्य योजना के अंतर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से ग्राम कोलाडुग्री तक मोटर मार्ग की वनभूमि प्रस्ताव हेतु पौधरोपण क्षेत्र

ग्राम पावुली

OI Toposheet No. 53N/04

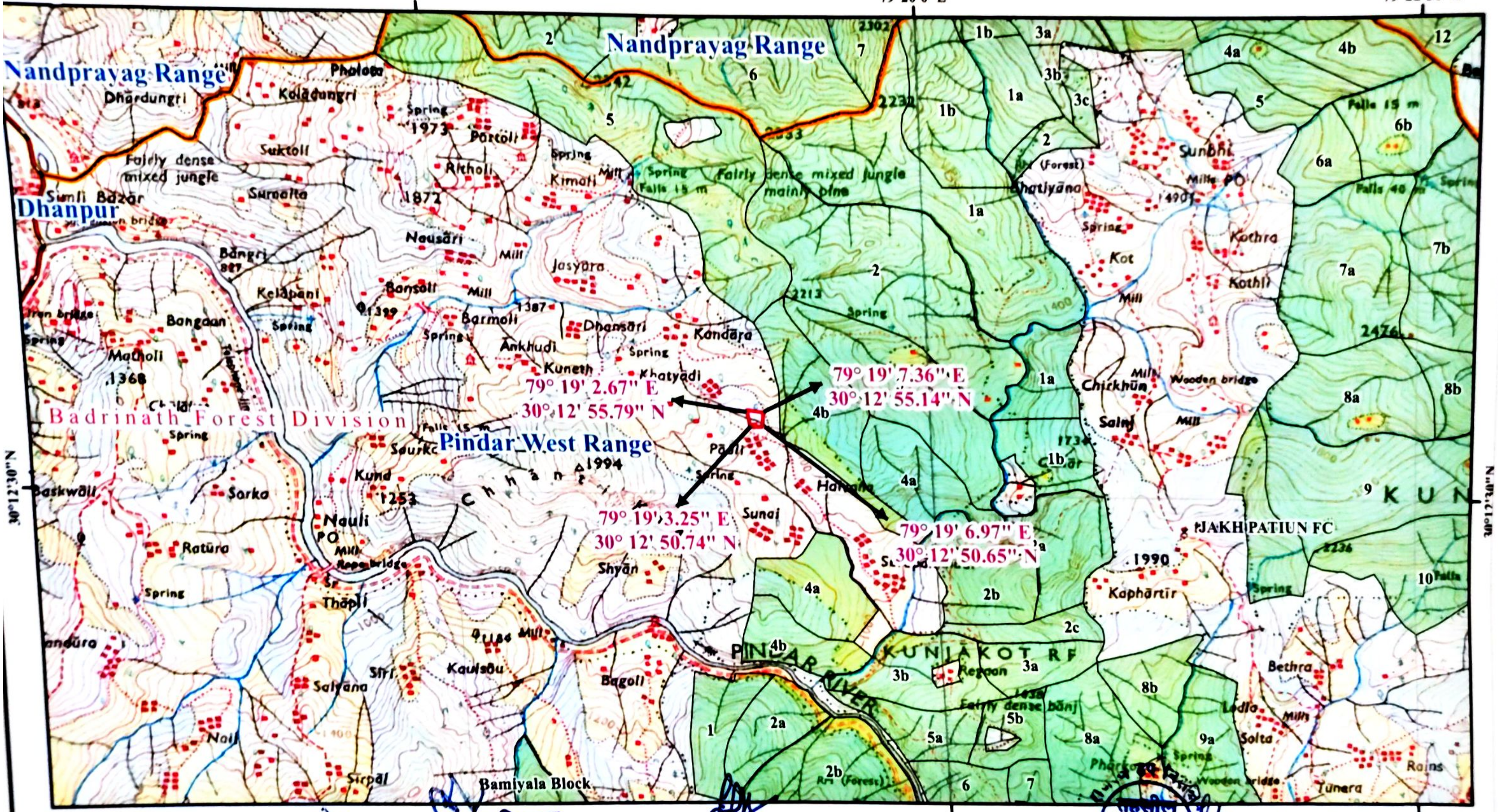

Legend

- Proposed Land
- Protected Area
- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest Area
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Km

Scale-1:50,000

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

Ajeshi J.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

तहसीलदार
कर्णप्रयाग

19/05/25

जियोरेफरेन्स मैपः— नपद चमोली में राज्य योजना के अंतर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से ग्राम कोलाडुग्री तक मोटर मार्ग की वनभूमि प्रस्ताव हेतु पौधरोपण क्षेत्र

ग्राम पाडुली

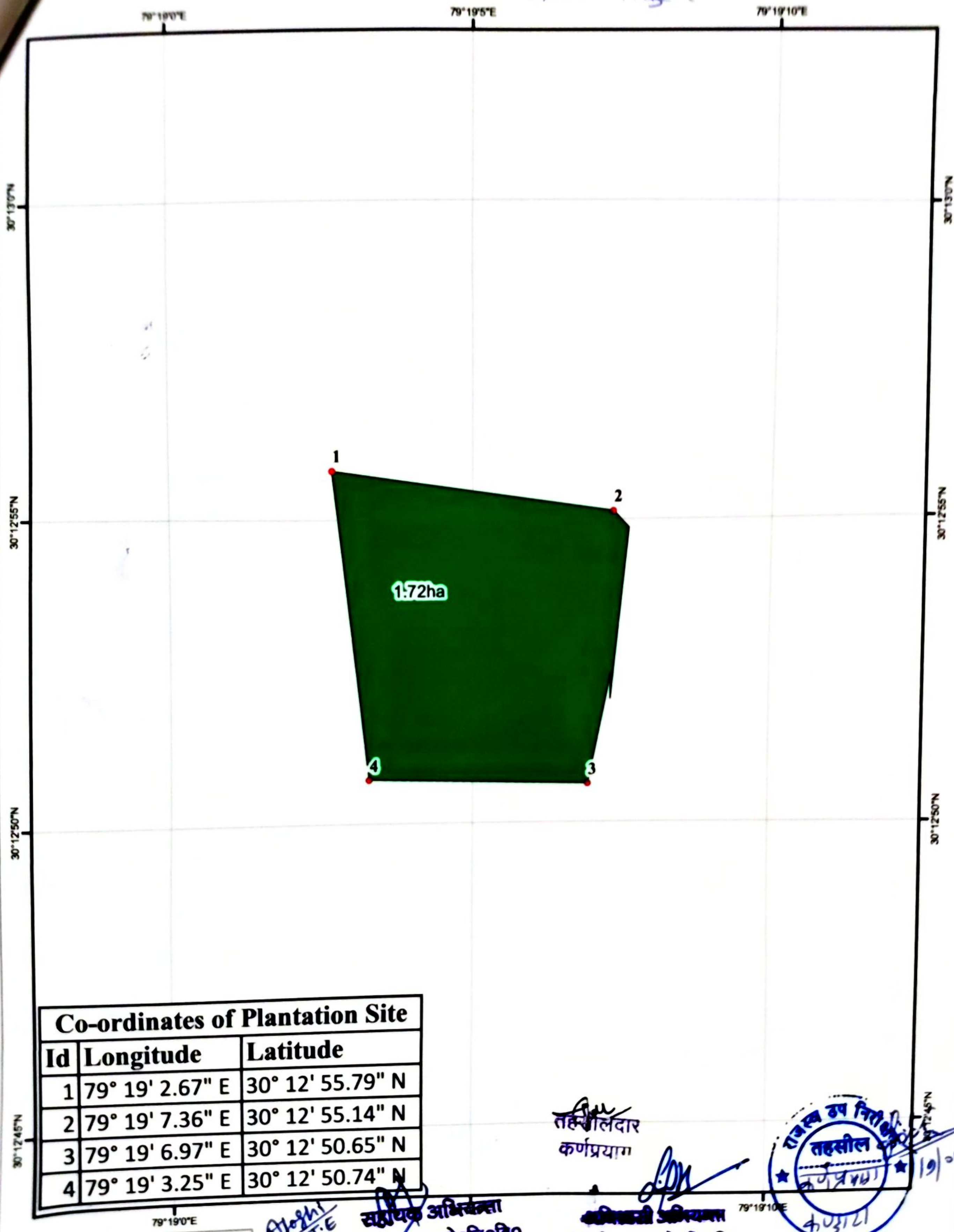

Co-ordinates of Plantation Site		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 19' 2.67" E	30° 12' 55.79" N
2	79° 19' 7.36" E	30° 12' 55.14" N
3	79° 19' 6.97" E	30° 12' 50.65" N
4	79° 19' 3.25" E	30° 12' 50.74" N

Legend

- GPS Location
- Proposed Plantation Site

0 0.02 0.04 0.08 0.12 0.16 Km

1:2,500

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

तहसीलदार
कर्णप्रयाग

Ajoshi
J.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

राजस्व उप निरीक्षक
तहसील
कर्णप्रयाग

19/05/2025

उप जिलाधिकारी

[illegible]
[illegible] राजि
बद्रीनाथ [illegible]

E-mail

!! आदेश !!

जनपद चमोली अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 06.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु के चिन्हित 01.720 हेक्टेयर सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु तकनीकी अधिकारी (वानिकी), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या–8 बी/यू0सी0पी0/06/17/2022/एफ0सी0/1161 दिनॉक 11.12.2023 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव तकनीकी अधिकारी (वानिकी), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या–8 बी/यू0सी0पी0/06/17/2022/ एफ0सी0/1161 दिनॉक 11.12.2023 में **प्राविधानित शर्तों** के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग के पत्र संख्या–294/र0का0/भूमि हस्ता0 पत्रा0/डिम्मर–सुमल्टा–कोलाडुंग्री मार्ग (2024–25) दिनॉक 31.01.2025 के अनुक्रम में डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 06.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम पाडुली, पटवारी क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग, जनपद चमोली की नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या–25, खसरा संख्या–1521 रकवा 01.098 हेक्टेयर, खसरा संख्या–1527 रकवा 0.471 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या–1534 रकवा 0.210 हेक्टेयर मध्ये 0.151 हेक्टेयर अर्थात् 01.720 हेक्टेयर, श्रेणी–10 (04) अन्य कारणों से अकृषित भूमि दर्ज" को उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII (II)/2012–18(120)/2010 दिनॉक 17.12.2012 के अनुसार वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्थान: गोपेश्वर,
दिनॉक: अप्रैल 2025

(डा0 संदीप तिवारी)
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली

संख्या– 6014 /छब्बीस– (2023–2024) दिनॉक: गोपेश्वर: 16 अप्रैल 2025

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02 सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
03 अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
04 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।
05 आयुक्त गढवाल, मण्डल पौड़ी।
06 उप जिलाधिकारी/तहसीलदार कर्णप्रयाग।
07 प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
08 भूलेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली (गोपेश्वर)
09 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर।

जिलाधिकारी,
चमोली।

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

17/04/2025

प्रेषक,

तहसीलदार,
कर्णप्रयाग।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

द्वारा– उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग।

पत्रांक–२१५/र0का0/भूमि हस्ता0पत्रा0/डिम्मर–सुमल्टा–कोलाडुंग्री मोटर मार्ग (2024–25) दिनांक ३१,जनवरी, 2025

विषय– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गतत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी भूमि 1.720 है0 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गौचर के पत्र संख्या–612/1 सी0वन दिनांक 02.05.2024 के द्वारा डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी भूमि 1.720 है0 भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण में राजस्व उपनिरीक्षक कण्डारा के द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी है कि–जनपद चमोली के अन्तर्गत डिम्मर सुमल्टा मोटर मार्ग निर्माण के लिये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.720 है0 भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ग्राम पाडुली के नॉन जेड0 ए0 खतौनी की श्रेणी–10–04–अन्य कारणों से अकृषित भूमि की ख0ख0 संख्या 25 खसरा संख्या 1521 रकबा 1.098 है0, खसरा संख्या 1527 रकबा 0.471 है0 और खसरा संख्या 1534 रकबा 0.210 है0 मध्ये 0.151 है0 अर्थात कुल 1.720 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा, खतौनी एवं राजस्व उपनिरीक्षक की आख्या संलग्न है।

अतः उक्तानुसार डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण के लिये 0.861 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी भूमि 1.720 है0 हेतु ग्राम पाडुली, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग की नॉन जेड0 ए0 खतौनी के खाता संख्या 25 में श्रेणी–10–04–अन्य कारणों से अकृषित भूमि दर्ज खसरा संख्या 1521 रकबा 1.098 है0, खसरा संख्या 1527 रकबा 0.471 है0 और खसरा संख्या 1534 रकबा 0.210 है0 मध्ये 0.151 है0 अर्थात कुल 1.720 है0 भूमि का प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सादर प्रेषित।

संलग्न–उक्तानुसार।

तहसीलदार,
कर्णप्रयाग।

तहसीलदार कर्णप्रयाग की आख्या जिलाधिकारी महोदय, चमोली की सेवा में संस्तुति सहित सादर प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
कर्णप्रयाग।

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तहसील कर्णप्रयाग,

महोदय,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग गौचर पत्रांक 612/1सी.वन दिनांक 02/05/2024 एवं आपके आदेशानुपालन R.NO.-455/2024 के संबंध में रिपोर्ट निम्नवत है- कि जनपद चमोली के अन्तर्गत उखार-सुमल्टा मोटर मार्ग निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.72 है० भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में ग्राम पाडुली के नान जेड. ए. खतौनी की श्रेणी 10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि की ख० खा० संख्या 25 खसरा संख्या 1521 रकबा 1.098 है०, खसरा संख्या 1527 रकबा 0.471 है और खसरा संख्या 1534 रकबा 0.210 है० मध्ये 0.151 है० अर्थात कुल 1.72 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है।

अतः संस्तुति रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न - नक्शा ट्रेस
- नकल खसरा
- नकल नान जेडए खतौनी

(रोबिन सिंह)
रा० उ०नि०

R.K (KP4)
है० पत्रावली सं०
तहसीलदार, कर्णप्रयाग

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

मौका खसरा / नकल खसरा

राजस्व ग्राम पाडुली रा0उ0नि0क्षेत्र कण्डारा तहसील कर्णप्रयाग जनपद चमोली।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1521	1.098	25	उत्तराखंड सरकार														भीटा	1.098		
1527	0.471	25	—— " ——														—"—	0.471		
1534	0.210	25	—— " ——														—"—	0.210		

नोट - नकल Man Z.A. असल Man Z.A. से तैयार किया गया है। Man Z.A. खसरा नंबर 1521 रकबा 1.098 है0, खसरा नंबर 1527 रकबा 0.471 है0 और खसरा नंबर 1534 रकबा 0.210 है0 मध्ये 0.151 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

रा0उ0नि0
रा0उ0नि0
कण्डारा

प्रपत्र प–11

ग्राम - पाकुली   रा० उ० नि० - कण्डारा   तहसील कर्णप्रयाग

	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	श्रेणी 10(क) - अन्य कारणों से अकृषित भूमि														
२5	भीटा	हाल	9	0.091											
		बंदोबस्त	50	0.013											
			X X	X											
			1521	1.098											
			1527	0.471											
			1531	0.144											
			1534	0.210											
			X X	X											
			योग 62	9113											

रा० उ० नि० कण्डारा।

नोट- नकल Man Z.A. असल Man Z.A. से तैयार किया गया है। Man Z.A. खसरा नंबर 1521 रकबा 1.098 है०, खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.471 है० और खसरा नम्बर 1534 रकबा 0.210 है० मे० 0.151 है० भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है।

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गोचर

संलग्न 3

शर्त संख्या 5 (ख)

प्रस्ताव का नाम— जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/146204/2020)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय / भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

23/4/25

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
पोखरी